

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला

चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - गोहाटा, महागामा
2. (क) अवैध जमाबंदीदार का नाम - भोजु हेमकुम दिना-किमुन हेमकुम
(ख) अवैध जमाबंदी का भूमि की विवरणी -

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा नं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>बसुजा</u>	<u>692</u>	<u>24</u>	<u>32/112</u>	<u>0.07 डी.</u>	<u>-</u>	<u>पत्तो जमीन</u>

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप रवाली व
4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? 1986 से
5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम पंजी II में नाम अंकित नहीं है
(पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें)
6. नामान्तरण/दाखिल-खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी
7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
 - (i) अनिबंधित, सादा हुकुमनामा
 - (ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित आदेशनुसार)
 - (iii) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथा कथित पट्टा का हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक)
9. अवैध जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई-
 - (i) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से
 - (ii) अंचल/अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से
 - (iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी में ✓
10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है नहीं
(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद साल-दर साल निर्गत हैं? नहीं
11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बादसे 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदे लगातार निर्गत हैं? नहीं
12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित

- बंदोबस्त जमीन पर बंदोबस्तदार रैयत का उनके बंधन का दखल कब्जा नहीं है और यदि अंचल प्रशासन के देखरेख में है। अतः बापद जमाबंदी को रद्द किया जा सकता है।
14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरान्त मतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन नहीं है
- बंदोबस्त जमीन पर बंदोबस्तदार रैयत का उनके बंधन का दखल कब्जा नहीं है। अतः बापद जमाबंदी को रद्द किया जा सकता है।

अंचल निरीक्षक, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदा०, अपर समाहर्ता, उपायुक्त
महागामा गोडा। महागामा गोडा। गोडा।

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम:- भोजपुर हेमचंद्र पिता. मिश्र हेमचंद्र
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण:-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
<u>बलुआ</u>	<u>692</u>	<u>24</u>	<u>32/112</u>	<u>0.0731</u>	<u>पत्ती रुदी</u>

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं०-03 पर कायम है
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- पंजी II के अनुसार 05-03-1986
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खतेदार का नाम- गौरधामजी
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है- पंजी II के अनुसार उपरोक्त पदा. प्रशासक के 10.34/1984-85
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनाया/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती- पंजी II के अनुसार व-देवली राय
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख रो की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II है

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	127344	05-03-86	1985-86
02.	659829	11-03-99	1998-99
03.	3495807	04-08-2005	2005-06

व-देवली ~~का~~ पदा पर व-देवली द्वारा रैयत का होने के बेवाज का दखल कल्ला नहीं है। वर्तमान में वर्धित पदा अंग्रेज प्रशासन के दखल-रेख में है। अतः दखल कल्ला नहीं होने के कारण काम जमाबंदी को रद्द किया

प्रा. मिश्रा की

16.9.25
प्रा.

16.9.2008